

फर्द अहकाम

(नियम 13)

19

GCMS  
2020/00019  
08/01/2021

अज्ज अदालत तहसीलदार / नायब तहसीलदार सिणधरी तहसील सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

बनाम

श्री..... शोभा

हलका..... निबलकोट

पुत्र श्री..... मंगलम जाति..... जौज

निवासी..... निबलकोट

किस्म मुकदमा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 मु.नं. 19/वर्ष 2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाहीमय इनिशियलस जज	हुकम और तारीख तामिल की
10-7-2020	<p>पटवारी हलका..... निबलकोट ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत्..... में मौजा..... निबलकोट के खसरा नंबर..... 348 रकबा..... 100000 वर्ग फीट किस्म भूमि..... 3A के पर नाजायज अतिक्रमण कर काश्त व कब्जा किया है, अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक..... 29-7-2020 को बमुकाम सिणधरी में पेश हों।</p> <p>तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर</p>	
29-7-2020	<p>पत्रावली आठ पेश हुई। गैर सायल साध व पटवारी हलका उपस्थित। गैर सायल ने जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किताब में गैर सायल को एक और अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 13-8-2020 को पेश हो।</p> <p>तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर</p>	<p>रामाराम प. निबलकोट</p>

13-8-2020


पत्रावली भाज पेश हुई। वर सागल  
अनुपस्थित। पटवारी हल्का अनुपस्थित।  
पत्रावली दिनांक 26-8-2020 के पेश है।

तहसीलदार मिणधरी  
जिला-बाड़मेर

26-8-2020

पत्रावली भाज पेश हुई। वर सागल  
अनुपस्थित। पटवारी हल्का उपस्थित।  
वर सागल को मतिवली घोषित करते  
हुए पत्रावली फेसल सुमार है।  
निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल  
पत्रावली है। निर्णय खुले-थानात्मक  
के सुनाया जाया। पत्रावली फेसल  
सुमार होकर दाखिल दफतर है।

तहसीलदार मिणधरी  
जिला-बाड़मेर

  
प. निम्बलकोट